माननीय वन मन्त्री, हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 17.03.2022 को धर्मशाला में सम्पन्न हुई चराई सलाहकार पुनर्वलोकन समिति की 48वीं बैठक की कार्यवाही।

चराई सलाहकार पुनर्वलोकन समिति की 48वीं बैठक माननीय वन मन्त्री, हि0 प्र0 की अध्यक्षता में दिनांक 17.03.2022 को परिधि घर, धर्मशाला में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

सर्वप्रथम समिति के सदस्य सचिव द्वारा माननीय अध्यक्ष व अन्य सदस्यों का बैठक में पधारने के लिये स्वागत किया गया तथा उन्हें विषय पर प्रचलित दिशानिर्देशों आदि से संक्षेप में अवगत करवाया गया।

पिछली बैठक (47वीं) जो दिनांक 04.08.2021 को माननीय वन मन्त्री, हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में शिमला में सम्पन्न हुई थी, में लिये गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही से समिति को अवगत करवाया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

मद संख्याः–(47.1) चरान परमिटों की नवीनीकरण अवधि को बढ़ानाः
विभागीय उत्तर :– माननीय अध्यक्ष द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि चरान परमिटों के नवीनीकरण की वर्तमान 3 वर्ष की अवधि को बढ़ाकर 6 वर्ष किया जाये। इस अवसर पर समिति को सूचित किया गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस पर कार्यवाही करते हुए अधिसूचना संख्या एफ0एफ0ई0–बी0–जी0(6)6/2017 दिनांक 22.11.2021 द्वारा चरान परमिट के नवीनीकरण की अवधि को 3 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया है। चर्चा उपरान्त मद्द को समाप्त कर दिया गया।

मद संख्या–47(2) नये चरान परमिट जारी करना व पुराने रद्द परमिटों का नवीनीकरणः

इस मद्द को अध्यक्ष महोदय द्वारा समाप्त कर दिया गया।

मद संख्या–47(3) कई वर्षों से बन्द पड़े जंगलों को चरान के लिये पुनः खोलनाः
विभागीय उत्तर :– इस मद्द के बारे में अवगत करवाया गया कि पौधरोपण क्षेत्र को सात वर्ष के बाद Circle Level Committee की रिपोर्ट के पश्चात् चरान के लिये फिर से खोल दिया जाता है। मुख्य अरण्यपाल धर्मशाला द्वारा पालमपुर वन मण्डल के अधीन 61.33 हैक्टेयर तथा धर्मशाला वन मण्डल में 368.625 हैक्टेयर क्षेत्र को चरान के लिए खोल दिया गया है। नुरपूर वन मण्डल में 430 हैक्टेयर स्थापित पौधारोपित क्षेत्र को पुनः चरान के लिये खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है। शेष वन वृतों में वृत स्तरीय समितियां स्थापित पौधारोपित क्षेत्रों को चरान के लिये पुनः खोलने के लिये प्रयासरत है और शीघ्र ही स्थापित पौधारोपित क्षेत्रों को चरान के लिये पुनः खोल दिया जायेगा। विभाग द्वारा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं। चर्चा उपरान्त मद्द को समाप्त कर दिया गया।

मद संख्या–47(4) रास्तों व पुराने डेरों से अतिक्रमण हटानाः
विभागीय उत्तर :– बैठक में निर्णय लिया गया था कि लाहडू में पुराने डेरों के पास तथा चरागाह क्षेत्रों से अतिक्रमण को हटाया जायेगा। इस पर मुख्य अरण्यपाल (चम्बा) द्वारा सूचित किया गया कि लाहडू में पुराने डेरों के पास लोगों द्वारा कोई भी अतिक्रमण नहीं पाया गया है। जो लोग वहां घर बनाकर रह रहे हैं वह उनकी अपनी निजि जमीन है। मुख्य अरण्यपाल/अरण्यपाल चम्बा, नाहन, धर्मशाला, बिलासपुर, शिमला, कुल्लू, वन्य प्राणी धर्मशाला व जी0एच0एन0पी0 शमशी ने पुष्टि की है कि पुराने डेरों के पास व चरागाह क्षेत्रों में अतिक्रमण का कोई भी मामला विभाग के ध्यान में नहीं आया है, यदि ऐसा कोई भी मामला विभाग के ध्यान में आता है तो उसे हटाने हेतू तुरन्त आवश्यक कार्यवाही अम्ल में लाई जायेगी।

फिर भी सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को यह भी निर्देश दिया गया कि यदि पुराने डेरों के पास व चरागाह क्षेत्रों में अतिक्रमण किया पाया जाता है तो प्रचलित नियमों, अधिनियमों एवं निर्देशों के अनुसार कार्यवाही अमल में लाकर उसे तुरन्त हटाया जाये। चर्चा उपरान्त मद्द को समाप्त कर दिया गया।

मद संख्या–47(5) चरागाह क्षेत्रों का विकासः

विभागीय उत्तर :– इस मद्द के सम्बन्ध में सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दे दिये गये हैं तथा चरागाह क्षेत्रों से लैंटाना प्रमुखता से हटाया जा रहा है व जंगलों में चारा प्रजाति के पौधों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके लिये कैम्पा तथा वन विभाग की विभिन्न योजनायों के तहत बजट का प्रावधान किया जाता है। इस उपलक्ष पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा पशु पालकों से यह आग्रह किया गया कि यदि वह किसी चारागाह क्षेत्र जिनमें उनकी भेड़–बकरियां चरती हैं, से लैंटाना को प्राथमिकता से हटवाना चाहते हैं तो इन क्षेत्रों की सूचना सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारियों को प्रदान करें ताकि उन क्षेत्रों से लैंटाना का उन्मूलन प्राथमिकता के आधार पर किया जा सके। चर्चा उपरान्त मद्द को समाप्त कर दिया गया।

मद संख्या–47(6) रास्तों की मुरम्मतः

विभागीय उत्तर :– बैठक में निर्णय लिया गया था कि सपैडू से सतचरी मार्ग व चामुण्डा से तारणू रास्ते की मुरम्मत की जाये तथा काली जोत ग्लेशियर में अस्थाई रास्ता बनाने की सम्भावना देखी जाये। मुख्य अरण्यपाल धर्मशाला द्वारा सूचित किया गया कि सपैडू से सतचरी मार्ग व चामुण्डा से तारणू रास्ते की मुरम्मत के लिये आकलन किया जा चुका है तथा इसके लिये 30 लाख रुपये की राशि की आवश्यकता है। मुख्य अरण्यपाल, धर्मशाला (व0प्रा0) द्वारा सूचित किया गया कि काली जोत ग्लेशियर में अस्थाई रास्ता बनाने के लिये आकलन किया जा चुका है जिसके लिये लगभग 15–20 लाख रुपये की आवश्कयता है, परन्तु हिमाच्छादित होने के कारण यह रास्ता अभी नहीं बनाया जा सकता है अतः इस रास्ते को बनाने के लिये धनराशि अगले वित्त वर्ष 2022–23 की शुरुआत (जुलाई से सितम्बर के बीच) में प्रदान की जाये। प्रथम चरण में यह राशि 8 लाख रुपये तथा शेष राशि आगामी दो वर्षों में प्रदान की जाये क्योंकि इस रास्ते पर कार्य सिर्फ जुलाई से सितम्बर के मध्य ही किया जा सकता है। बाकी समय में यह क्षेत्र वर्फ से ढका रहता है। विभाग द्वारा आश्वस्त करवाया जाता है कि शीघ्र ही इन रास्तों के निर्माण के लिये बजट का प्रावधान करके कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा।

निर्णयः– अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को निर्देश दिया गया कि इन कार्यों के लिये चरणवद्ध तरीके से बजट में धनराशि का प्रावधान किया जाये ताकि सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी इन कार्यों को वर्ष 2022–23 में पुर्ण कर सके।

{कार्यवाही द्वारा–मु0अ0 वित्त, धर्मशाला एवं व0प्रा0 धर्मशाला}

मद संख्या–47(7) डिपिंग टैंकों/सरोवरों एवं अस्थाई शैडों का निर्माणः

विभागीय उत्तर :– बैठक में निर्णय लिया गया था कि जिला चम्बा व कांगड़ा के अधिकतर प्रयोग होने वाले आवागमन के रास्तों में तीन–तीन (कुल छः) स्थानों को चिन्हित करके एक–एक स्थान पर एकीकृत विकास परियोजना (IDP), सोलन तथा शेष दो–दो स्थानों पर अरण्यपाल चम्बा व धर्मशाला द्वारा डिपिंग टैंक/सरोवर एवं अस्थाई शैड की सुविधा आगामी तीन महीने में विकसित की जाये।

इस पर मुख्य अरण्यपाल धर्मशाला द्वारा सूचित किया गया कि विभाग द्वारा इसके लिये सपैडू व राजगुन्धा स्थलों का चयन किया है और शीघ्र ही प्राक्कलन तैयार करके कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा।

मुख्य अरण्यपाल, चम्बा द्वारा इसके लिये डलहौजी व भरमौर में स्थानों को चिन्हित किया गया है। भरमौर में रिडली नामक स्थान पर डिपिंग टैंक और शैड का निर्माण किया जायेगा और शीघ्र ही प्राक्कलन तैयार करके कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त लाहडू नामक स्थान पर पशुपालन विभाग द्वारा निर्मित डिपिंग टैंक के साथ एक शैड का निर्माण किया जाना आवश्यक है।

प्रधान मुख्य अरण्यपाल एवं परियोजना निदेशक, एकीकृत विकास परियोजना (IDP), सोलन ने इसके लिये कांगड़ा जिला के माधोनगर स्थान का चयन किया है क्योंकि इस स्थल के पास ही जनजातिय भवन भी स्थित है जिसे अस्थाई शैड के रुप में प्रयोग किया जा सकता है व चम्बा जिला के रुपैना स्थान डिपिंग टैंक एवं अस्थाई शैड बनाने के लिये चिन्हित किये हैं जिसका कार्य शीघ्र ही आरम्भ कर दिया जायेगा।

विभाग द्वारा यह भी सुझाव दिया जाता है कि अस्थाई शैड के लिये वन विभाग के पुराने विश्राम गृहों जो उपयोग नहीं किये जाते (Abandoned) का उपयोग भी किया जा सकता है।

निर्णयः— अध्यक्ष महोदय द्वारा कहा गया कि लगभग 7 महीने बीत जाने के उपरान्त भी अस्थाई शैड व डिपिंग टैंकों का निर्माण क्यों नहीं किया गया? अध्यक्ष महोदय द्वारा मुख्य अरण्यपाल धर्मशाला, चम्बा व प्रधान मुख्य अरण्यपाल एवं परियोजना निदेशक, एकीकृत विकास परियोजना (IDP), सोलन को निर्देश देते हुए कहा गया कि अस्थाई शैड व डिपिंग टैंकों का निर्माण कार्य आगामी बैठक से पुर्व पूर्ण हो जाना चाहिए। उन्होने यह भी निर्देश दिया कि इस कार्य के लिये कैम्पा (CAMPA) के तहत बजट का प्रावधान किया जाये।

{कार्रवाई द्वारा—मु0प0नि0 (CPD), ए0वि0प0 (IDP), सोलन/ मु0अ0, कैम्पा/ मु0अ0, (वित्त)/मु0अ0 चम्बा व धर्मशाला/पशु पालन विभाग}

मद संख्या—47(8) चरागाह मार्गों को डिजिटाईज करनाः

विभागीय उत्तर :— बैठक में निर्णय लिया गया था कि चरागाह मार्गों व चरान परमिटों को डिजिटाईज किया जायेगा। इस संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि जिन 28 चारागाह मार्गों को वन विभाग द्वारा डिजिटाईज किया जाना था, में से 8 मार्ग पहले ही डिजिटाईज किये जा चुके थे तथा 20 मार्गों को 31.03.2022 तक डिजिटाईज किया जाना है, जिन में से 8 मार्गों के डिजिटाईजेशन का काम पूरा हो चुका है तथा 4 मार्गों को 31.03.2022 तक डिजिटाईज कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त शेष 8 मार्गों का डिजिटाईजेशन आगामी वित्तिय वर्ष में किया जायेगा।

निर्णयः— सम्बन्धित मद्द पर अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि इस सम्बन्ध में वे वन विभाग के आई0टी0 सैल से शिमला में 21.03.2022 को बैठक करके अद्यतन स्थिति का अवलोकन करेंगे तथा विभाग द्वारा शेष कार्य को पूर्ण करने हेतू बजट का प्रावधान वर्ष 2022—23 में सुनिश्चित किया जाये।

{कार्रवाई द्वारा— मु0अ0 (आई टी)}

मद संख्या—47(9) मुआवजा राशि को बढ़ानाः

विभागीय उत्तर :— बैठक में निर्णय लिया गया था कि जंगली जानवरों के आक्रमणों में मारे जाने वाले इन्सानों व पशुओं पर मिलने वाली मुआवजा राशि को मानवीय आधार पर संशोधित करके बढ़ाया जाये। जिसके लिये प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज दिया गया है व सरकार के विचाराधीन है।

निर्णयः— अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यावस्था दी गई कि इस मामले को सकिय रूप से वित्त विभाग से उठाया जायेगा।

{कार्रवाई द्वारा— प्र0मु0अ0 (व0प्रा0) हि0प्र0}

मद संख्या–47(10) पशुपालकों द्वारा चरान परमिटों को अवैध रुप से दूसरे व्यक्तियों को बेचनाः

विभागीय उत्तर :– बैठक में निर्णय लिया गया था कि चरान परमिट की मौका पर जांच की जाये ताकि इन्हें अवैध रुप से दूसरे व्यक्तियों को बेचने वालों की पहचान की जा सके। इस सम्बन्ध में सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिये गये हैं। क्षेत्रिय कार्यालयों द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है कि पशु पालकों द्वारा चरान परमिट को अवैध रुप से दूसरे व्यक्तियों को बेचने का कोई भी मामला सामने नहीं आया है यदि ऐसा कोई भी मामला सामने आता तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्व तुरन्त कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। चर्चा उपरान्त मद्द को समाप्त कर दिया गया।

मद संख्या–47(11) चरान परमिट में पशुओं की संख्या को बढाना।

इस मद्द को अध्यक्ष महोदय द्वारा समाप्त कर दिया गया।

मद संख्या–47(12) आवागमन के दौरान रास्ते में पशु चोरी होना।
विभागीय उत्तरः– इस मामले को प्रधान सचिव (गृह) हिमाचल प्रदेश सरकार से उठाया गया। उनके आदेशानुसार पुलिस महानिदेशक हिमाचल प्रदेश ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधीनस्थ पुलिस उपमण्डल अधिकारियों थाना प्रवन्धकों को विषयगत मामले में समुचित पुलिस सहायता प्रदान किये जाने एवं चोरी की घटनाओं पर त्वरित समुचित पुलिस सहायता प्रदान की जाये।

निर्णयः– अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यावस्था दी गई कि सरकार द्वारा सुर्यास्त के बाद पशुधन को गाड़ी द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक विकय करने हेतू ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये मामला पशुपालन विभाग से उठाकर शीघ्र ही सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी जायेगी।

{कार्रवाई द्वारा– पशुपालन विभाग}

मद संख्या–47(13) चरान परमिटों को डिजिटाईज करना।
विभागीय उत्तर :– समिति द्वारा निर्णय लिया गया था कि चरान परमिटों को डिजिटाईज किया जाये। इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वन विभाग के IT Cell द्वारा दस्तावेज इक्टठे किये जा चुके हैं तथा वैब आधारित एप्लीकेशन बनाने हेतू Terms of Reference बना दी गई है तथा वित्तिय वर्ष 2022–23 में बजट की उपल्बधता अनुसार इस पर कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा।

निर्णयः– अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि चरान परमिटों को डिजिटाईज करवाने हेतू बजट का प्रावधान किया जाये व वर्ष 2022–23 तक सभी चरान परमिटों को डिजिटाईज कर दिया जाये।

{कार्रवाई द्वारा– मु0अ0 (आइ0 टी0)}

मद संख्या–47(14) श्री भाग चन्द सुपुत्र श्री देबू राम गांव व डाकघर पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0 के चरान परमिट के हस्तांतरण का मामला।

इस मद्द को अध्यक्ष महोदय द्वारा समाप्त कर दिया गया।

48वीं बैठक में प्रस्तुत नई मद्दें:–

मद संख्या 48.1:– भेड़–बकरी पालन व्यवसाय को लुप्त होने से बचाना तथा चारा प्रजाति के पौधों को बढ़ावा देना।

माननीय सदस्य **श्री धर्म चन्द मकड** द्वारा कहा गया कि भेड़–बकरी पालन व्यवसाय दिन–प्रतिदिन समाप्त होता जा रहा है जिसका मुख्य कारण चारागाहों में चारे की भारी कमी है अतः चारागाहों में पशुओं द्वारा खाई जाने वाली झाड़ियों/पौधों को बढ़ावा दिया जाए।

माननीय सदस्य **श्री पन्ने लाल व श्री राजपाल** द्वारा मांग रखी गई कि चरागाह क्षेत्रों में चौड़ी पत्ती जिसमें खैर, बैर व गरना इत्यादि चारा प्रजाति के पौधों को लगाने के लिये पर बढ़ावा दिया जाये। उन्होने बताया कि विभाग द्वारा चारागाहों में सागवान का रोपण किया गया है जिसके पत्ते पतझड़ में गिर जाने के कारण चारागाहों में घास दब जाती है और चारे की कमी हो जाती है। अतः सागवान की जगह खैर, बैर व गरना इत्यादि चारा प्रजाति के पौधों को लगाने पर बल दिया जाये।

विभाग द्वारा सूचित किया गया कि जंगलों में पौधरोपण के अन्तर्गत अधिकतर चौड़ी पत्ती वाले पौधों का ही रोपण किया जा रहा है। प्रधान मुख्य अरण्यपाल (आई0डी0पी0) द्वारा भी सूचित किया गया कि कण्डी प्रोजेक्ट में काफी समय पूर्व सागवान के पौधों का रोपण किया गया था तथा भविष्य में इसका पौधरोपण नहीं किया जायेगा।

निर्णयः– माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि चरागाहों में चारा प्रजाति के पौधों को बढ़ावा दिया जाये। प्रधान मुख्य अरण्यपाल (आई0डी0पी0) को भी यह निर्देश दिया गया कि भविष्य में सागवान का पौधरोपण न किया जाये।

{कार्रवाई द्वारा–प्र0 मु0 अ0 (व0ब0प्र0) हि0प्र0/मु0प0नि0 (CPD), ए0वि0प0 (IDP), सोलन/ समस्त मु0अ0/अ0(क्षे0 एवं व0प्रा0) हि0प्र0}

मद संख्या 48.2:– चरान परमिट प्रणाली का एकीकरण तथा पानी की उपलब्धता बारे।

क) पशु पालकों द्वारा मांग रखी गई कि चरान परमिट की प्रणाली का एकीकरण होना चाहिए। चरान परमिट चाहे कहीं भी जारी किया जाये वह हर जगह मान्य होना चाहिए। जिससे पशु पालकों को अनावश्यक भाग–दौड़ न करनी पड़े। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा भी इस मुद्दे पर सहमति जताई गई। प्रधान मुख्य अरण्यपाल (व0ब0प्र0) हि0प्र0 द्वारा अवगत करवाया गया कि पशु पालकों की इन्ही समस्याओं का समाधान करने के लिये चरान परमिटों को डिजिटाईज किया जा रहा है। जैसे ही चरान परमिटों का डिजिटाईजेशन हो जायेगा, पशु पालक अपनी सुविधा के अनुसार चरान परमिट का नवीनीकरण कहीं पर भी करवा सकते हैं।

ख) उन्होंने यह भी मांग रखी कि कण्डी प्रोजेक्ट के पानी को बन्द न किया जाये ताकि उनके पशुओं व जंगली जानवरों को पीने का पानी सुगमता से उपल्बध हो सके।

निणर्य :– क) माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा चरान परमिटों के डिजिटाईजेशन की प्रकिया को शीघ्र पुर्ण करने के निर्देश दिये गये।

ख) माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि कण्डी प्रोजेक्ट तथा अन्य प्रोजेक्टों के पानी को पशुओं व जंगली जानवरों के पीने के लिये खुला रखा जाये जिसके लिये प्र0मु0अ0 (व0ब0प्र0) हि0प्र0 सम्बन्धित परियोजना निदेशकों को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करें।

{कार्रवाई द्वारा–मु0अ0(आई0टी)/मु0प0नि0 (CPD), ए0वि0प0 (IDP), सोलन}

मद संख्या 48.3:– संयुक्त परमिट प्रणाली।

माननीय सदस्य **श्री सुरेश कुमार** द्वारा मांग रखी गई कि जो लोग वास्तव में पशुओं को चराने वाले (पुहाल/गद्दी) होते हैं व जिनके नाम चरान परमिट जारी किया जाता है वह संयुक्त रुप से जारी किया जाये, क्योंकि परमिट में नाम न होने के कारण जंगली जानवरों के आक्रमणों व प्राकृतिक आपदा में मारे जाने वाले पशुओं पर मिलने वाली मुआवजा राशि, लोन पर अनुदान व हेल्थ किट असली गद्दी को नहीं मिल पाती है। अतः चरान परमिट संयुक्त रुप से जारी किया जाये ताकि इन सुविधाओं का लाभ वास्तविक गद्दी को मिल पाए।

निणर्य :– माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सूचित किया गया कि चराई नीति के अनुसार चरान परमिट का हस्तांतरण सम्भव नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि इस वर्ष पशु पालकों को 1000 हेल्थ किट, टॉर्च एवं टैण्ट वितरित किये जायेंगे। उन्होने निर्देश दिया गया कि इन पुहाल/गद्दी की सूचि बनाकर मुख्य परियोजना निदेशक, एकीकृत विकास परियोजना (IDP) सोलन को सौंपें ताकि ये किट वास्तविक पुहाल/गद्दीयों को मिल सके।

{कार्रवाई द्वारा–समस्त मु0अ0/अ0 (क्षे0 एवं व0प्रा0) हि0प्र0/मु0प0नि0 (CPD), ए0वि0प0 (IDP), सोलन}

मद संख्या 48.4:– अस्थाई शैड का निर्माण।

माननीय सदस्य **श्री प्रकाश चन्द** द्वारा मांग रखी गई कि रिडली से छुमारु व दोनाली तक भेड़ पालक लगभग 3 से 4 हजार भेड़–बकरियां लेकर आते हैं। लेकिन रिड़ली से दोनाली के बीच अस्थाई शेड़ की कोई भी सुविधा नहीं है अतः दोनाली के पास एक अस्थाई शैड़ का निर्माण किया जाये।

निणर्य :– माननीय समिति ने वन विभाग से आग्रह किया गया कि वे इस कार्य को करने हेतू राज्य सरकार से धन राशि उपलब्ध करवाने के प्रयास करें।

{कार्रवाई द्वारा– प्र0मु0अ0 (व0ब0प्र0),हि0प्र0/मु0अ0, (वित्त)/जन जातिय विकास, विभाग, हि0प्र0}

मद संख्या 48.5:–रास्तों की मुरम्मत एवं पुलों का निर्माण तथा कैम्प का आयोजन।

माननीय सदस्य **श्री जय चन्द धान्टा** द्वारा मांग की गई कि कन्दरखोली से चांशल तक भेड़–बकरीयों के जाने का जो रास्ता है वह बहुत ही खराब स्थिति में है। सिरमौर से चांशल जाते समय इस खराब रास्ते के कारण पशु पालकों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः इस रास्ते की मुरम्मत की जाये व इस रास्ते के नालों (जहां पर आवश्यकता है) में पुलों का निर्माण करवाया जाये। उन्होंने यह भी मांग की कि रोहडू के छौहारा ब्लॉक में लगभग 300 भेड़ पालक हैं अतः इस ब्लॉक में वूल फैडरेशन की तरफ से एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया जाये ताकि इस क्षेत्र के भेड़ पालकों को भी सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता की जानकारी मिल सके।

माननीय सदस्य **श्री ओम प्रकाश** द्वारा मांग की गई कि टिबल गलू से बीरनी माता मन्दिर तक रास्ते का निर्माण किया जाये क्योंकि इस रास्ते पर बहुत से श्रद्धालु भी मन्दिर जाते हैं।

277

निणर्य :— माननीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इन रास्तों की मुरम्मत करवा दी जाये। वूल फैडरेशन को निर्देश दिए गये कि उनके द्वारा छौहारा क्षेत्र में एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया जाये।

{कार्रवाई द्वारा— मु0अ0 (कैम्पा) / मु0अ0(वित्त) / मु0अ0 शिमला एवं धर्मशाला, वूल फैडरेशन, हि0प्र0}

मद संख्या 48.6:— रेस्ट हाउस का निर्माण।

माननीय सदस्य **श्री रमेश कौशल** द्वारा मांग की गई कि भटियात के मन्होता का बहुत ही पुराना व ऐतिहासिक रेस्ट हाउस आग लगने के कारण नष्ट हो चुका है। अतः इस रेस्ट हाउस का पुनः निर्माण किया जाये।

माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश द्वारा भी मांग की गई कि जरणी माता मन्दिर लंघा के पास रेस्ट हाउस का निर्माण किया जाये।

निणर्य :— माननीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इन रेस्ट हाउसों के निर्माण हेतू सरकार की नीति के अन्तर्गत विचार किया जायेगा।

{कार्रवाई द्वारा— प्र0मु0अ0 (व0ब0प्र0) हि0प्र0}

मद संख्या 48.7:— चारदीवारी लगाना।

माननीय सदस्य **श्री ओम प्रकाश** द्वारा मांग की गई कि पालमपुर के अन्तर्गत गलू लंधा से 3 कि0मी0 ऊपर लोगों की 500 कनाल निजि जमीन है जो जंगली जानवरों के नुकसान के कारण खाली पड़ी है। अतः इस जमीन पर कांटेदार तार से चारों ओर से चारदीवारी लगाई जाये ताकि लोगों को जंगली जानवरों से राहत मिल सके।

निणर्य :— माननीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त निजी जमीन की वाड़बन्दी भू—स्वामियों द्वारा कृषि विभाग से सहायता प्राप्त करके अपने स्तर पर की जाये।

अन्त में सदस्य सचिव एवं अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (प्रवन्धन) हि0प्र0 द्वारा माननीय अध्यक्ष तथा सभी सरकारी / गैर सरकारी सदस्यों एवं अधिकारियों / कर्मचारियों का बैठक में उपस्थित होने के लिए धन्यावाद किया गया। बैठक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई।

***

परिशिष्ट "क"

माननीय वन मन्त्री, हि0 प्र0 की अध्यक्षता में 17.03.2022 को धर्मशाला में सम्पन्न हुई चराई सलाहकार पुर्नवलोकन समिति की 48बीं बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूचीः–

सरकारी सदस्य		
1	श्री त्रिलोक कपूर, अध्यक्ष, वूल फैडरेशन, हि0प्र0	
2	श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान मुख्य अरण्यपाल (व0ब0प्र0) हि0 प्र0	
3	श्री प्रदीप ठाकुर, मुख्य अरण्यपाल, हमीरपुर	
4	श्री डी0 आर0 कौशल, मुख्य अरण्यपाल, धर्मशाला	
5	श्री एच0 के0 सरवटा, मुख्य अरण्यपाल, चम्बा	
6	श्रीमति उपासना पटियाल, मुख्य अरण्यपाल, (व0प्रा0) धर्मशाला	
7	श्री अनिल जोशी, मुख्य अरण्यपाल कुल्लू	
8	श्री अनिल कुमार शर्मा, मुख्य अरण्यपाल, बिलासपुर	
9	श्रीमति मीरा शर्मा, मुख्य अरण्यपाल जी0एच0एन0पी0 शमशी	
10	श्री दीपक सैनी, निदेशक वूल फैडरेशन, पालमपुर	
11	श्री डा0 सुशील कुमार कप्टा, अति0 प्रधान मुख्य अरण्यपाल (प्रबन्धन), शिमला – सदस्य सचिव	
गैर–सरकारी सदस्य		**फोन न0**
1	श्री गुरमुख सिंह सुपुत्र श्री सरन दास निवासी गांव व डाकघर फतहार, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0प्र0	82198–40997
2	श्री पन्ने लाल निवासी गांव पाली, डाकघर पनारसा, तहसील औट, जिला मण्डी, हि0प्र0	98173–47485
3	श्री महेन्दर ठाकुर निवासी गांव व डाकघर बीर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0प्र0	94597–52730
4	श्री जय चन्द निवासी गांव दियुच्छी, डाकघर लरोट, तहसील चढ़गांव, जिला शिमला, हि0प्र0	78074–58746
5	श्री विशन दास निवासी गांव व डाकघर पेखा, तहसील चढ़गांव, जिला शिमला, हि0प्र0	98161–22253
6	श्री धर्म चन्द मकर निवासी गांव सीतला कॉक, डाकघर उस्टेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0प्र0	78075–23501
7	श्री रमेश कौशल निवासी गांव कयाली, डाकघर गहीं लगोड़, तहसील नुरपूर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0	70186–33670
8	श्री सरवण कुमार निवासी गांव व डाकघर गहीं लगोड़, तहसील नुरपूर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0	98166–91313
9	श्री अमित कुमार शर्मा निवासी गांव व डाकघर गहीं लगोड़, तहसील नुरपूर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0	82196–89445
10	श्री देव राज निवासी गांव व डाकघर बाघनी, तहसील नुरपूर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0	98163–59605
11	श्री राजपाल निवासी गांव हार, डाकघर खुबाड़ा, तहसील नुरपूर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0	98054–58688
12	सुबेदार श्री सुरेश कुमार निवासी गांव व डाकघर कनेहटा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0	98052–37811
13	श्री चरणजीत सिंह सुपुत्र श्री रोशन लाल निवासी गांव व डाकघर होली, जिला चम्बा,	86288–70411

	हि0प्र0	
14	श्री प्रकाश चन्द सुपुत्र स्व0 श्री सोरमा राम निवासी गांव कुनर, डाकघर कुनर, तहसील घरवाला, जिला चम्बा, हि0प्र0	98164–02879
15	श्री अनिल नेगी निवासी गांव व डाकघर बटसेरी, तहसील सांगला, जिला किनौर, हि0प्र0	98053–95205
16	श्रीमति नीलम कुमारी पत्नी श्री ओंकार सिंह निवासी गांव व डाकघर गरोला, तहसील भरमौर, जिला चम्बा, हि0प्र0	98167–31683
17	श्री ओम प्रकाश सपुत्र श्री सौजा राम निवासी गांव लाहांगा, डाकघर चांदपुर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0	98164–22716
18	श्री संसार चन्द निवासी गांव व डाकघर जिया, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0	98163–43303
19	श्री धर्म पाल निवासी गांव बड़सर, डाकघर जिया, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0	98160–29267
20	श्री संतोष कुमार सपुत्र श्री महालु राम निवासी गांव व डाकघर सपेहडू, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0	98170–64615
21	श्री बंगाली राम निवासी गांव व डाकघर सुंगल, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0	70183–08140
22	श्री जय किशन निवासी गांव व डाकघर बंदला, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0	82194–89061
23	श्री विजय कपुर निवासी गांव तारस, डाकघर पठार, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0प्र0	89880–39802
24	श्री राज कुमार सुपुत्र श्री धनी राम निवासी डाकघर बाड़ी, तहसील सिहुंता, जिला चम्बा, हि0प्र0	98053–46866
25	श्री कबीर सिंह कपुर निवासी गांव व डाकघर चाहड़ी, तहसील नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा, हि0प्र0	91378–34764
26	श्री घीनी राम निवासी गांव व डाकघर दियोल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0प्र0	94597–54706
27	श्री ओम प्रकाश राणा, मार्फत राणा फोटो स्टूडियो, पुराना बस स्टैंड, नगरोटा बगवां, उप–तहसील नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा, हि0प्र0	94185–64654
विशेष आमन्त्रित अतिथि		
1	श्री रवि प्रकाश, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग	

***